

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
क्रमांक: प.8(ग)(11)नियम/डीएलबी/14/6121

दिनांक: 11.5.2015

अधिसूचना

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित न्यायालयों को उनके सामने स्तम्भ संख्या 3 में वर्णित किराया अधिकरण के रूप में गठित करती है, इनका क्षेत्राधिकार सारणी के स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र.सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, किशनगढ़	किराया अधिकरण, किशनगढ़ जिला अजमेर	नगर पालिका क्षेत्र, किशनगढ़
2.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, ब्यावर	किराया अधिकरण, ब्यावर जिला अजमेर	नगर पालिका क्षेत्र, ब्यावर
3.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	किराया अधिकरण, बालोतरा जिला बाड़मेर	नगर पालिका क्षेत्र, बालोतरा
4.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	किराया अधिकरण, रतनगढ़ जिला चुरू	नगर पालिका क्षेत्र, रतनगढ़
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	किराया अधिकरण, सुजानगढ़ जिला चुरू	नगर पालिका क्षेत्र, सुजानगढ़
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुरतगढ़	किराया अधिकरण, सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर	नगर पालिका क्षेत्र, सुरतगढ़
7.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डीन सिटी	किराया अधिकरण, हिण्डीन सिटी जिला करौली	नगर पालिका क्षेत्र, हिण्डीन सिटी
8.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना	किराया अधिकरण, मकराना जिला नागौर	नगर पालिका क्षेत्र, मकराना
9.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी	किराया अधिकरण, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर	नगर पालिका क्षेत्र, गंगापुर सिटी
10.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	किराया अधिकरण, फतेहपुर जिला सीकर	नगर पालिका क्षेत्र, फतेहपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,
सही/- 7/5
(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव


::राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ::

क्रमांक/सामान्य/11/13/2003(S)/576

दिनांक 13/05/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।(सीकर को छोड़कर)
4. संबंधित किराया अधिकरण। (फतेहपुर को छोड़कर)
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक/ कम्प्यूटर सेल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।


रजिस्ट्रार(नियम)